भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 94

सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक)

दैनिक मजदूरी पर काम करने वाली महिलाओं के लिए कार्यक्रम

***94. श्री अ. मनि:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दैनिक श्रमिक महिलाओं के लिए कोई लक्षित कार्यक्रम हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ख) सरकार द्वारा उनके लिए वेतन की असमानता और कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

"दैनिक मजदूरी पर काम करने वाली महिलाओं के लिए कार्यक्रम" के संबंध में श्री अ. मनि द्वारा दिनांक 10.02.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 94 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): सरकार ने, वेतन असमानता और महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसी समस्याओं के समाधान के लिए विधायी और अन्य उपाय किए हैं।

लैंगिक वेतन अंतर को कम करने के लिए सरकार ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया है, जिसमें समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के पुरुष और महिला कामगारों को समान पारिश्रमिक के भुगतान तथा समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए भर्ती करते समय या भर्ती के बाद सेवा की किसी भी स्थिति जैसे पदोन्नति, प्रशिक्षण या स्थानांतरण में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को रोकने हेतु उपबंध किया गया है। इस अधिनियम को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाता है।

मजदूरी संहिता, 2019, वेतन से संबंधित श्रम कानूनों के लिए एक व्यापक और सुव्यवस्थित ढांचे के रूप में कार्य करती है। यह संहिता लैंगिक आधार पर वेतन असमानता पर स्पष्ट रूप से रोक लगाकर लैंगिक समानता और भेदभाव रहित होने के सिद्धांतों को रेखांकित करती है। यह एक ही कार्य या समान प्रकृति के कार्य में लगे महिलाओं और पुरुषों, दोनों के लिए समान पारिश्रमिक का सिद्धांत स्थापित करता है, जिससे पारिश्रमिक के क्षेत्र में निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा मिलता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को वेतन संहिता, 2019 में समाहित कर दिया गया है।

कारखाना अधिनियम, 1948 में महिला कामगारों के लिए सुरक्षा उपायों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कपास खोलने की मशीनों के पास काम करने पर प्रतिबंध, चलती मशीन के किसी भी भाग की सफाई, चिकनाई या समायोजन पर प्रतिबंध, तथा अत्यधिक वजन उठाने की अनुमति नहीं देना शामिल है। इन विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, अधिनियम में महिला और पुरुष दोनों कामगारों के लिए सामान्य सुरक्षा उपायों को भी अनिवार्य किया गया है, जिनमें जिन मशीनों के पास वे काम करते हैं, उनके चारों ओर बाड़ लगाना, चलती मशीनों पर या उनके निकट काम करने के लिए नियम, तथा खतरनाक प्रक्रियाओं के प्रति सावधानियां शामिल हैं।

सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने और इससे संबंधित शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए "कार्यस्थल पर महिलाओं का

यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" (एसएच अधिनियम) अधिनियमित किया है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता (ओएसएच एण्ड डब्ल्यूसी), 2020 में महिला कामगारों सहित कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी समस्याओं का समाधान करने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसमें महिलाओं के विशिष्ट स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण बनाने पर जोर दिया गया है। यह संहिता महिलाओं को उनकी सहमति के अधीन रात में काम करने का अधिकार प्रदान करती है, तथा यह अनिवार्य करती है कि नियोक्ता, रात में महिला कामगारों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेंगे। इस संहिता के प्रावधानों को परिवहन पर भी लागू किया जाता है, तथा नियोक्ताओं के लिए महिला कर्मचारियों के लिए पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ सेवा उपलब्ध कराना अनिवार्य बनाया गया है। कारखाना अधिनियम, 1948 को ओएसएच एण्ड डब्ल्यूसी संहिता, 2020 में समाहित कर लिया गया है।

सरकार महिलाओं की रोजगार क्षमता में सुधार लाने के लिए मिशन शक्ति, नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं- किरण (वाइज़-किरण), सर्ब-पावर (अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना), महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान आदि जैसी महिला केंद्रित योजनाएं भी लागू कर रही है।

जनवरी, 2024 में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने "महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं के लिए एक एड्वाइज़री" भी जारी की। इस एड्वाइज़री में अन्य बातों के साथ-साथ नियोक्ताओं को महिला कामगारों के लिए सभी एहतियाती सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने; संगठनों के भीतर यौन उत्पीड़न के लिए आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन सुनिश्चित करने; महिला कामगारों की सुरक्षा समस्याओं का समय पर निवारण सुनिश्चित करने; यौन उत्पीड़न, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा आदि के बारे में उद्यम/इकाई के भीतर जागरूकता पैदा करना सुनिश्चित करने का उल्लेख किया गया है।

*****